

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

पार्थी उल्लु विपक्षी स्वयं  
केस मुकदमा 531188 RY 128 पत्रावली संख्या 97/22 सन \_\_\_\_\_

क्रमांक \_\_\_\_\_ कार्यवाही विवरण \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई \_\_\_\_\_

15/09/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय आंच 5:00 PM हो चुका है। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में तलबी में लम्बित है। वादी को तलबी हेतु पथप्ति अवसर दिये जाने पर भी तलबी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति शजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम बाजरी अदम पेंरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार लेकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली

